

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या- 184 /नौ-4-18-70ईओ/2017
लखनऊ: दिनांक-3 | जनवरी, 2018
कार्यालय ज्ञाप

नितान्त अस्थायी व्यवस्था के रूप में कालम-2 में उल्लिखित नगर निकायों में रिक्त अधिशासी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार कालम-3 में उल्लिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि इस हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा:-

क्र०	निकाय का नाम	उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी का नाम
1	2	3
1	न०पा०परि, पीलीभीत	श्री जे०पी० चौहान, उप जिलाधिकारी, पीलीभीत
2	नगर पंचायत, न्यूरिया, हुसैनपुर (पीलीभीत)	श्रीमती पूर्णिमा सिंह, उप जिलाधिकारी, सदर, पीलीभीत
3	नगर पंचायत, गुलडिया भिंडारा (पीलीभीत)	श्रीमती वन्दना त्रिवेदी, उप जिलाधिकारी, अमरिया पीलीभीत
4	नगर पंचायत, बरखेड़ा (पीलीभीत)	श्री सूरज कुमार यादव, उप जिलाधिकारी, बीसलपुर (पीलीभीत)
5	नगर पंचायत, बिलसंडा, (पीलीभीत)	श्री कुंवर बहादुर सिंह, तहसीलदार बीसलपुर (पीलीभीत)

2. उक्त निकायों में नियमित अधिशासी अधिकारी की तैनाती हो जाने पर उक्त अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या- 184 (1)/नौ-4-18-70ईओ/2017 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, पीलीभीत।
3. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, पीलीभीत, न्यूरिया, हुसैनपुर (पीलीभीत), गुलडिया भिंडारा (पीलीभीत), बरखेड़ा (पीलीभीत), बिलसंडा, (पीलीभीत)
4. सम्बन्धित अधिकारीगण।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।